प्रेस विज्ञप्ति

20.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला के समक्ष दो और पूरक अभियोजन शिकायतें (एसपीसी) दायर की हैं।

एसपीसी संख्या 3, आईसीएल हाईटेक एजुकेशनल सोसाइटी, संजीव कुमार प्रभाकर और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ 22.08.2025 को दर्ज की गई थी, जो धन शोधन के अपराध में शामिल पाए गए थे। आईसीएल हाईटेक एजुकेशनल सोसाइटी हरियाणा में आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चलाती है।

देव भूमी एजुकेशनल ट्रस्ट, भूपिंदर कुमार शर्मा एवं अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ एसपीसी संख्या 04 दिनांक 17.12.2025 दर्ज की गई है, जो धन शोधन के अपराध में शामिल पाए गए थे। देव भूमी एजुकेशनल ट्रस्ट, देव भूमी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ऊना चला रहा था।

हिमाचल प्रदेश के एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय (डीओएचई), शिमला द्वारा छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो, शिमला द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि इन संस्थानों ने उन छात्रों के विवरण को प्रमाणित करके छात्रवृत्ति का धन धोखाधड़ी से प्राप्त किया था, जो इन संस्थानों में किसी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे और जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना संस्थान छोड़ दिया था। इसके अलावा, छात्रवृत्ति निधि की अधिक राशि धोखाधड़ी से प्राप्त करने के लिए, छात्रों के झूठे विवरण एचपी-ई पास पोर्टल (डीओएचई, शिमला का छात्रवृत्ति पोर्टल) पर अपलोड किए गए थे, जिसमें छात्रों के पाठ्यक्रम को बाद के वर्षों में बदलना, छात्रों की जाति श्रेणी को बाद के वर्षों में बदलना, छात्रों को दिन के छात्र के बजाय छात्रावास में रहने वाला छात्र दिखाना आदि शामिल था।

अपराध में शामिल विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अपराध के आगम (पीओसी) का उपयोग उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां प्राप्त करने के लिए किया गया था। इससे पहले मामले में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी भी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती सामग्री की जब्ती, लगभग 80 लाख रुपये की नकदी की जब्ती और 3.30 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस/एफडी की जब्ती हुई।

इसके अलावा, लगभग 30.5 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति की जब्ती के लिए अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए गए हैं और इस मामले में अब तक कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आगे की जांच जारी है।